



कुचामनसिटी
8/14/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी	
शिवपालशर्मा पुत्र देवायन पत्नी कस्तुरबाई		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत			
वाद-पत्र नम्बर	310/2021	GCMS No.	2021/1103
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8/14/2021	<p>वादी श्री शिवपालशर्मा पुत्र देवायन जाति पत्नी निवासी कस्तुरबाई द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत कस्तुरबाई में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत...2074-2075... ग्राम कस्तुरबाई पटवार मण्डल कस्तुरबाई के खाता नम्बर 16 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि शफोजल अकेवा दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम शिवपालशर्मा पुत्र देवायन है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008384300245 आधार नम्बर 6841 4342 4188 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज पत्र 30421-4811401657 PAN: ESBAPR 20210 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>		1268-1271
			  उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)